


प्रीतानीन अधिकारी महोदय, ... डोर में ... है।

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/24 को पेश हो।

पत्रावली भेज हुई। वकील उद्योग उपस्थित। प्रीतानीन अधिकारी महोदय, ... डोर में ... है।

अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/10 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी अनुपस्थित।  
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कक-रक  
कर आवाज लगायी गयी लेकिन कोई उपस्थित  
नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत 09  
R8 CPC अदम दायरी अदम चैरवी में खारेज  
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर  
नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील  
कारिवा दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

